


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा जारी कॉलेज संख्या 3 में अंकित विवरणानुसार जारी वगन आदेश में निर्मांकित कार्मिक के सम्मुख कॉलेज संख्या 4 में उल्लेखानुसार नाम संशोधन विज्ञापन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	आदेश क्रमांक व अन्य विवरण	वांछित संशोधन
1	2	3	4
1	रज्जोलाल शर्मा	1-शिविरा-माध्य/ संस्था एबी/ बी III/ डीपीसी/ प्रधानाचार्य/ 19 20(नियमित) दिनांक 24.05.19 के क्रम संख्या-1329 पर अंकित	नाम राजा लाल शर्मा के स्थान पर "रज्जोलाल शर्मा" पढ़ा जाए।

उक्त वर्णित आदेश के शेष भाग पूर्ववत ही रहेंगे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/बी-3/संशोधन/2017-18/2021

दिनांक:- 05/02/2022

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबपोर्टल पर अपलोड हेतु।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या0)
- 5 संबंधित संस्था प्रधान
- 6 संबंधित कार्मिक
- 7 सहायक निदेशक, संस्थापन एबी अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8 रक्षित पत्रावली शिविरा-माध्य/संस्था-एबी/बी-III/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2019-20(नियमित)

सत्यमेव जयते


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर